



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072022-237153
CG-DL-E-07072022-237153

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2932]
No. 2932]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/आषाढ़ 15, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

का.आ. 3082(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3338 (अ) तारीख 16 अगस्त, 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग - 341 के कि.मी. 38.300 से कि.मी. 65.478 (पहली मंजिल पर जिला सेवा सदन, भुज) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16 सितंबर, 2021" को "संदेश" (गुजराती) और "टाइम्स ऑफ इंडिया" (अंग्रेज़ी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग - 341 (चुबडक से भुज सेक्शन तक के कि. मी. 38.300 से कि.मी. 65.478) (प्रांत कार्यालय, पहली मंजिल पर जिला सेवा सदन, भुज) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: कच्छ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: भुज				
	गांव का नाम: कुकमा				
1	331	अन्य(सरकारी/निजी)	पडतर	0.0792	श्री सरकार/डॉ कानुभाई जेरामभाई गणात्रा (331/1/पैकी 5)
2	94/3	निजी	कृषि	0.2276	नरेश कान्जी मेपानी (94/3)
3	94/4	निजी	कृषि	0.059	रावजी मावजी भुदिया (94/4)
4	95/1	निजी	कृषि	0.0232	धवनि अक्षय पुत्री हिलेश संघवी (95/1)
	गांव का नाम: रेलड़ी मोटी				
5	167/1	निजी	कृषि	0.1525	डॉ दमयंतीबेन कृष्णकांत (कनुभाई) गणात्रा अन्य-1 (167/1)
6	168/1	निजी	कृषि	0.8089	जशोदाबेन जेठलाल ठक्कर (168/1)
7	168/2	निजी	कृषि	0.0231	ठक्कर विरलकुमार जेठलाल चंदे

					(168/2)
8	169/1	निजी	कृषि	0.0005	ठक्कर विरलकुमार जेठालाल चंदे (169/1)
9	170 Paiki 1, 170 Paiki 2, 170 P1/P1,170 P1/P2	निजी	कृषि	0.6427	रितेश विनोदचंद्र शाह, दयाबेन विनोदचंद्र शाह, धवनी अक्षय शाह हिलेश संघवी की विवाहित बेटी है (170/पी2)
10	171	निजी	कृषि	0.4018	चावडा वलीबेन बिजलभाई, चावडा गोपाल बिजलभाई, चावडा अरविंद बिजलभाई (171)
11	172	निजी	कृषि	0.9045	चावडा वलीबेन बिजलभाई, चावडा गोपाल बिजलभाई, चावडा अरविंद बिजलभाई (172)
12	175	निजी	कृषि	0.7853	शशिकांत नानजीभाई पटेल और अन्य-2 (175)
13	183	निजी	कृषि	0.003	हरजी अर्जन हीराणी और अन्य - 1 (183)
			कुल	4.1113	

[फा. सं. NHAI/Four Lane/GDM/_____/2017/3D]

राजेश गुप्ता , निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2022

S.O. 3082(E).—Whereas by the notification number **S.O. 3338 (E) dated 16th August, 2021** of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-341 on the stretch of land from Km. 38.300 to Km. 65.478 (First Floor Zilla Seva Sadan, Bhuj) in the District of KACHCHH in the state of GUJARAT.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Sandesh**” (Gujarati) and “**Times of India**” (English) both **dated 16th September, 2021**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 38.300 to Km. 65.478 (Chubdak to Bhuj Section) of the National Highway No.341 (Prant Office, First Floor Zilla Seva Sadan, Bhuj) in the District of KACHCHH in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: KACHCHH			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bhuj				
	Village: Kukma				
1	331	Common(Govt./Pvt.)	Padtar	0.0792	Gujarat Govt./Dr. Kanubhai Jayram Ganatra 331/1/Paiki 5
2	94/3	Private	Agriculture	0.2276	Naresh Kanji Mepani 94/3
3	94/4	Private	Agriculture	0.059	Ravji Mavji Bhudiya 94/4
4	95/1	Private	Agriculture	0.0232	Dhwani Akshay Shah is the married daughter of Hilesh Sanghvi 95/1
	Village: Reldi Moti				
5	167/1	Private	Agriculture	0.1525	Dr. Damayantiben Krushnkant (Kanubhai) Ganatra Other-1 167/1
6	168/1	Private	Agriculture	0.8089	Jashodaben Jethalal Thakkar 168/1
7	168/2	Private	Agriculture	0.0231	Thakkar Viralkumar Jethalal Chande 168/2
8	169/1	Private	Agriculture	0.0005	Thakkar Viralkumar Jethalal Chande 169/1
9	170 Paiki 1, 170 Paiki 2, 170 P1/P1,170	Private	Agriculture	0.6427	Ritesh Vinodchandra Shah, Dyaben Vinodchandra Shah, Dhwani Akshay Shah is the married daughter of Hilesh

	P1/P2				Sanghvi 170/p2
10	171	Private	Agriculture	0.4018	Chavda Valiben Bijalbhai, Chavda Gopal Bijalbhai, Chavda Arvind Bijalbhai 171
11	172	Private	Agriculture	0.9045	Chavda Valiben Bijalbhai, Chavda Gopal Bijalbhai, Chavda Arvind Bijalbhai 172
12	175	Private	Agriculture	0.7853	Shashikant Nanjibhai Patel and others-2 175
13	183	Private	Agriculture	0.003	Harji Arjan Hirani or Other - 1 183
			TOTAL	4.1113	

[F. No. NHAI/Four Lane/GDM/_____/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Director